

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

संख्या-14/प्रो० 104/2017 सा०प्र०-~~5575~~ / पटना-15, दिनांक- 31/5/17
बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव एवं समकक्ष स्तर (पे-बैंड ₹ 15,600- 39,100/-, ग्रेड पे ₹ 6,600/-), के पदाधिकारी श्री मो० अब्दुल रज्जाक, कोटि क्रमांक-566/11 जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को विभागीय परिपत्र सं०-4800 दिनांक-1.04.2016 के आलोक में अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर (पे-बैंड ₹ 15,600- 39,100/-, ग्रेड पे ₹ 7,600/-) के पद पर दिनांक-23.06.2016 के प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है।

2. यह प्रोन्नति औपबंधिक है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० (सी०) संख्या-29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होंगी।
3. श्री मो० अब्दुल रज्जाक, कोटि क्रमांक-566/11 जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक के लिये अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्कृष्टित करते हुये उन्हें उसी पद पर पदस्थापित किया जाता है।
4. श्री रज्जाक को पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।
5. वित्त विभागीय परिपत्र सं०-3637 दिनांक-10.04.2013 की कंडिका-2 के आलोक में प्रोन्नति की तिथि से अथवा वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण कराने के संबंध में महालेखाकार, बिहार / वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को एक माह के अन्दर विकल्प देना आवश्यक होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 14/प्रो० 104/17 सा०प्र०-~~5575~~ / पटना-15, दिनांक- 31/5/17
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/ महालेखाकार बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/ जिला पदाधिकारी, खगड़िया / जिला कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ श्री मो० अब्दुल रज्जाक, कोटि क्रमांक-566/11 जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया / प्रबंधक, आई० टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु / सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।